:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बरः– 31/22 निर्णय दिनांकः– 01.07.2022

1. श्री जयसिंह पिता नाना डामोर जाति डामोर निवासी ढूंढरिया तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
2. श्री धुला पिता नाना डामोर जाति डामोर निवासी ढूंढरिया तहसील चिखली जिला डूगरपुर राजस्थान

बनाम

1. श्री जयसिंह पिता नाथा डामोर जाति डामोर निवासी ढूंढरिया तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2. श्री भुरा पिता नाना डामोर जाति डामोर निवासी ढूंढरिया तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
3. श्री लक्ष्मण पिता नाना डामोर जाति डामोर निवासी ढूंढरिया तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4. श्रीमान तहसीलदार महोदयजी, चिखली तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राज. भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री बालगोविंद पाटीदार वकील प्रार्थी।

निर्णय

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण गांव ढूंढरिया तहसील चिखली के स्थायी निवासी है । वादीगण खेतीबाडी कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 सहखातेदार होने से सामान्य पक्षकार बनाया गया है। जो वर्तमान में बाहर निवास करते है। जिनसे कोई दाद नहीं चाहते है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा ढूंढरिया में खाता संख्या 60 खसरा नम्बर 266, 486, 488, 489, 508, 509, 512, 895, 896, 897, 898, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 927, 928, 972 कुल खेत किता 31 कुल रकबा 9.2554 है0 होकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

यह कि वाद कारण आज से डेढ माह पूर्व वादीगण अपने कब्जे काश्त की मौजा ढूंढरिया की खातेदारी आराजी संख्या 489, 508, 486, 509, खेत किता 4 कुल रकबा 1.0033 है0 में पारिवारिक बंटवारे अनुसार फसल बुवाई को लेकर खेडाई का कार्य कर रहे थ। उसी समय प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर आकर भूमि को अपनी बताकर सीमा विवाद करने लगे। जिस पर वादीगण ने कहा कि वह वादग्रस्त आराजी में वादीगण राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है ऐसे में तुम्हे कोई झंगडा करने का हक अधिकार नहीं है। वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी व नक्शा दिखाकर समझाने की काफी कोशिश की लेकिन समझने को तैयार हीं नहीं हुए। तथा जबरन वादीगण वादग्रस्त आराजी को अपनी बना लेने तथा वादीगण की आराजी सीमा पर पूर्व में किये गये निशानदेही होने के बावजुद प्रतिवादीगण सीमा विवाद कर रहे है। जिस पर वादीगण ने तहसील कार्यालय चिखली में कॉलम संख्या 3 में अंकित खसरों का सीमांकन करने आवेदन किया गया। जिस पर पटवारी व गिरदावर द्वारा सीमांकन नहीं किया गया है। जिससे प्रतिवादी संख्या वादीगण की खातेदारी आराजी को अपनी बता रहे है जिससे विवाद बढ रहा है ऐसे में वादीगण की खातेदारी आराजी में राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी व नक्शा दिखाकर समझााने की काफी कोशिश की लेकिन समझने को तैयार ही नही हुए । वादी की आराजी में सीमा विवाद करने लगे। जिससे वाद प्रस्तुत कर पत्थर गरी करना आवश्यक हो गया जिससे मयाद अवधि में वाद प्रस्तुत है।

यह कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी होने से प्रतिवादी संख्या 1 को जबरन झंगडा फसाद कर परेशान करते है। वादग्रस्त भूमि पर अतिकमण करने वादीगण से झंगडा फसाद व जान से मारने की धमकीया देते है। जबकि वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर जन्म से अधिकार निहित है। जिससे लगातार विवाद बढने से वाद कारण लगातार उत्पन्न होने लगा।

उ.
चिखली जि. डूंगरपुर

यह कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में सीमा में पूर्व में की गई पत्थरों की निशानदेही को खुर्द बुर्द कर दिया। वादीगण को बेदखल करने की नियत से वादग्रस्त आराजी में घुस गये। जबकि वादीगण के कमाई का एकमात्र जरीया कृषि है ऐसे में वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर वंचित हो जाएगा। तथा वादीगण का परिवार भुखा मर जाएगा। वादीगण को भारी आर्थीक क्षति होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पावन्द किंये जाने आवश्यक है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की मौज ढूंढरिया की खातेदारी आराजी संख्या 489, 508, 486, 509, खेत किता 4 कुल रकबा 1.0033 है0 होकर स्थित है। ऐसे में प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की आराजी में किसी प्रकार का विवाद करने पर पाबंद करे कि वादीगण को काश्त में रुकावट उत्पन्न नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। दिनांक 01.07.2022 को पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण 2, 3 उपस्थित। अप्रार्थी 1 अनुपस्थित जिनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार चिखली उपस्थित होकर कोई आपत्ति जाहिर नही की। अप्रार्थी संख्या 2, 3 द्वारा जवाब नहीं देकर प्रार्थी के पक्ष में सहमति व्यक्त की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्तानुसार विचारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि मौजा ढूंढरिया की खातेदारी आराजी संख्या 489, 508, 486, 509, खेत किता 4 कुल रकबा 1.0033 है0 तहसील चिखली की पैमाईश कर उसके अनुसार पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी कार्य हेतु नियमानुसार शुल्क प्रार्थी तहसील चिखली में जमा करावे शुल्क जमा होने पर तहसीलदार चिखली पत्थरगढी कार्य सम्पन्न करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली डिंगरपुर